देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2021/ak/08 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 7 अक्तूबर 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-2

जांच एजेंसियों की आँख के नीचे सरकारी संरक्षण मे चल रहा काले धन का बड़ा खेल!!!

बीकानेर मे अवैध खनन का परिवहन करने वालों से रॉयल्टी नाको पर हो रही गुंडा पर्ची से 30 लाख रोजाना की खुलेआम अवैध वसूली!!!

मंत्री,विधायक,नेताओं की कंपनी द्वारा की जा रही वसूली की जांच करवाने वाले विभाग के एसएमई को ही दिखाया बाहर का रास्ता!!!

अवैध खनन का परिवहन करने वालों पर नखेल लेकिन अवैध खनन करने वाले और भंडारण करने वाले को खुली छूट!!!

विगत तीन सालों मे हजारो पचनामे,लेकिन जुर्माने की राशि का हिसाब किताब नहीं?

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सत्ता की रॉयल्टी-बजरी ओवरलोडिंग का खेल

• रॉयल्टी नाकों पर 500 रुपए की पर्ची काटी जाती है, वसूलते हैं दस गुना तक रकम, बदले में ट्रकों को ओवरलोड करने की छूट

रॉयल्टी नाकों पर ट्रकों से रोज 30 लाख की वसूली, जांच के आदेश देने वाले अफसर को ही हटा दिया

भास्कर खुलासा

लोकेंद्रसिंह तोमर | बीकानेर

बीकानेर में बजरी के 1000 से ज्यादा ओवरलोड ट्रक रोज गुजरते हैं। इन्हें ना आरटीओ रोकता है और ना खान विभाग। दरअसल, बजरी खदानों के रॉयल्टी नाकों पर ट्रकों को ओवरलोड करने की पूरी छूट दी जाती है। इसके बदले में उन्हें आरओटी को दिखाने के लिए 5-7 सौ रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है ताकि ओवरलोडिंग का चालान नहीं कटे। इस पर्ची के इतर ट्रक वालों से नाकों पर 3 से 9 हजार की वसूली की जाती है। रोज 25 से 30 लाख रुपए की अवैध वसूली का खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सबकुछ पता होते हुए भी जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि बजरी के रॉयल्टी ठेके सत्ताधारी लोगों के करीबी रिश्तेदारों और उनके समर्थकों के हैं।

बजरी ओवरलोड रॉयल्टी की आड़ में जिलेभर में करोड़ों का अवैध कारोबार चल रहा है। रोज 1000 से ज्यादा बजरी लदे ट्रक रॉयल्टी नाकों को पार करते हैं। इन नाकों पर ओवरलोडिंग के लिए रसीद पर मामूली राशि लिखी जाती है लेकिन नाका पार तभी करने दिया जाता है, जब उसकी 10 गुना रकम वहां जमा कराई जाती है। वसूली करने वालों को भी इसलिए मौका मिला क्योंकि खुद ट्रक चालक भी ओवरलोडिंग लेकर चलते हैं। अंडर लोडिंग से उन्हें घाटा होता है। ट्रक वाले मुनाफा कमाना चाहते हैं इसलिए उनकी आड़ में रॉयल्टी नाके वालों को भी लूटने का मौका मिल गया है।

अवैध वसूली के असली खिलाड़ी इतने ताकतवर; जांच के आदेश देने वाले एसएमई पर आंच

रॉयल्टी की अवैध वसूली का खेल भी सरकारी दस्तावेज बनकर खनिज अभियंताओं के सामने पहुंचा। प्रमाण के रूप में वीडियो और ट्रक चालकों के बयान भी दर्ज हुए। तत्कालीन एसएमई राजीव चौधरी ने एमई राजेन्द्र बलारा को लिखे पत्र में एक वाहन नंबर का जिक्र करते हुए कहा कि रवन्ना 38.37 टन का दिया गया जबकि वाहन चालक के पास कांटे से तुलाई की पर्ची 91 टन की थी। रॉयल्टी नाकेदार ने 9000 रुपए लेकर 900 रुपए की रसीद दी। प्रकरण का हवाला देते हुए 17 सितंबर को अधीक्षण खनिज अभियंता ने खनिज अभियंता को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्रवाई तो दूर की बात उल्टा राजीव चौधरी को ही बीकानेर से स्थानांतरित कर दिया गया। वजह, इस प्रकरण में बीकानेर के कई नेताओं समेत एक दर्जन पहुंच वालों तक इसकी आंच पहुंचती। पूरा बजरी व्यापार इस वक्त कुछ चुनिंदा सत्ताधारी नेताओं के इर्द-गिर्द घूम रहा है। सत्ता की ताकत के बूते अवैध वसूली का खेल पनप रहा है। जो इस खेल के बीच आता है, उसे रास्ते से हटाया जा रहा है। राजीव चौधरी इसका उदाहरण हैं।

मंत्री-विधायक के रिश्तेदार

दरअसल बीकानेर में बड़ी मात्रा में बजरी का खनन होता है। 106 करोड़ का रॉयल्टी ठेका लेने वालों में बीकानेर, शेखावाटी के कई सफेदपोश नेताओं के रिश्तेदार और समर्थक हैं।

वसूली इसलिए: ट्रक चालक अंडर लोड नहीं चलना चाहते क्योंकि उनका कहना है कि अंडरलोड चलने में बचत नहीं होती है। वे ट्रक ओवरलोड कराते हैं लेकिन नाकों पर उसका वजन कागजों में साबित नहीं करना चाहते। वजह, जैसे ही ओवरलोड हुआ तो परिवहन विभाग उनका चालान कर देगा। जब ट्रक चालक ओवरलोड चलना चाहते हैं तो अवैध वसूली वालों को भी मौका मिला। वे भी कागजों में तो थोड़ी-बहुत रकम बताकर पर्ची काट देते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग के हिसाब से ज्यादा रुपए वसूलते हैं।

अवैध वसूली का रेट लिस्ट: छह चक्का वाहन में 9 टन बजरी के 405 के बदले 3 हजार, 10 चक्का में 18 टन के लिए 900 की जगह 6000, 12 चक्का में 22 टन पर 1100 के बदले 6500, 18 चक्का में 34 टन पर 1700 की जगह 9000 और 22 चक्का में 42 टन पर 2100 के बदले 11 हजार।

एमई राजेन्द्र बलारा की सफाई-ट्रक अंडरलोड चलें, फिर अवैध वसूली पर भी कार्रवाई करेंगे

Q| 17 सितंबर को आपको एसएमई ने एक पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। कार्रवाई हुई।

A| उस पर जांच हो रही है। सभी से बातचीत चल रही है।

Q| ट्रक चालक अवैध वसूली की बात कर आंदोलन क्यों कर रहे हैं।

A| हमने ठेका 106 करोड़ का उठाया। हमें वो मिल रहा है। ट्रक चालक अंडर लोड चलें और फिर कहीं अवैध वसूली हो तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ट्रक चालक भी तो अंडरलोड चलना नहीं चाहते। पहले वे नियमों की पालना करें। अगर वे अंडरलोड चलें फिर कोई ज्यादा राशि मांगे तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं।

Q| तो क्या विभाग की टेंडर उठाने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई। क्या ठेकेदार मनमानी वसूली करेंगे।

A| ऐसा नहीं है। गलत दोनों ही हैं। ट्रक चालक ओवरलोड चलते हैं लेकिन रसीद पर ओवरलोड वो भी शो नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें आरटीओ के चालान का डर है। अब वो ओवरलोड रसीद पर नहीं लेना चाहते तो ठेकेदारों को भी वसूलने का मौका मिल जाता है लेकिन इसमें गलत दोनों ही हैं। इन दोनों को आपस में बैठकर मामला सुलझाना चाहिए।

दैनिक भास्कर मे दिनांक 05/10/2021 को प्रकाशित खबर से साभार

रॉयल्टी ठेकों मे काले धन की समानान्तर व्यवस्था

वर्तमान मे भृष्ट राजनेताओं और उनके चापलूस अधिकारियों द्वारा ऐसी सरकारी नीतियाँ बनाई जाती है जिनमे जितना राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उससे कई गुना काले धन के रूप मे निकासी के लिए रास्ते खोल दिये जाते है|ऐसा ही एक खेल खनन पट्टों से निकलने वाले खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी राशि,डीएमएफ़टी,आरएसएमईटी राशि के संग्रहण के ठेके देने मे खेला जा रहा है|चूंकि राज्य मे संचालित किए जा रहे अधिकांश रॉयल्टी ठेके सत्तारूढ़ पार्टी के मौजूदा मंत्रियों,विधायकों के निटकटम रिश्तेदारों के नाम से है जिसके चलते राज्य की जांच एजेंसियां इन पर हाथ डालने से कतरा रही है|रॉयल्टी राशि की वसूली के नाम पर हो रही इस लूट से जहां कल्याणकारी योजनाओं के लिए बनाए गए फंडो जैसे डीएमएफ़टी,आरएसएमईटी मे जन धन की छीजत हो रही है वही केन्द्रीय सरकार के जीएसटी मद मे भी जम कर सेंद लगाई जा रही है|

बजरी व अन्य खनन पदार्थों को ओवरलोड कर,रॉयल्टी की आड़ में जिलेभर में करोड़ों का अवैध कारोबार चल रहा है। रोज

हजारों की संख्या मे बजरी व अन्य खनन लदे ट्रक रॉयल्टी नाकों को पार करते हैं। इन नाकों पर ओवरलोडिंग के लिए रसीद पर मामूली राशि लिखी जाती है लेकिन नाका पार तभी करने दिया जाता है, जब उसकी 10 गुना रकम वहां जमा कराई जाती है। वसूली करने वालों को भी इसलिए मौका मिला क्योंकि खुद ट्रक चालक भी ओवरलोडिंग लेकर चलते हैं। अंडर लोडिंग से उन्हें घाटा होता है। ट्रक वाले मुनाफा कमाना चाहते हैं इसलिए उनकी आड़ में रॉयल्टी नाके वालों को भी लूटने का मौका मिल गया है|

बीकानेर मे रॉयल्टी के नाम पर चल रही वसूली का खेल आंकड़ों मे				
क्रमांक	ट्रक	वजन क्षमता	वास्तविक दर	वसूली
1	6 चक्का	9 टन	405/-रु	3000/-रु
2	10 चक्का	18 टन	900/- रु	6000/- रु
3	12 चक्का	22 टन	1100/- रु	6500/- रु
4	18 चक्का	34 टन	1700/- रु	9000/- रु
5	22 चक्का	42 टन	2100/- रु	11000/-रु

बीकानेर मे अवैध खनन और परिवहन करने वालों से, रॉयल्टी नाको पर हो रही गुंडा पर्ची से 30 लाख से अधिक रोजाना की खुलेआम अवैध वसूली!!!

बीकानेर में बजरी व अन्य खनन के 1000 से ज्यादा ओवरलोड ट्रक रोज गुजरते हैं। इन्हें ना आरटीओ रोकता है और ना खान विभाग क्यूंकि इन ओवरलोड ट्रकों को रॉयल्टी नाकों पर पूरी छूट दी जाती है। इसके बदले में उन्हें आरटीओ को दिखाने के लिए 5-7 सौ रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है ताकि ओवरलोडिंग का चालान नहीं कटे। इस पर्ची के इतर ट्रक वालों से नाकों पर 3 से 9 हजार की वसूली की जाती है|इस प्रकार रोज 30 लाख रुपए से अधिक की अवैध वसूली का खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सबकुछ पता होते हुए भी जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि बजरी के रॉयल्टी ठेके सत्ताधारी लोगों के करीबी रिश्तेदारों और उनके समर्थकों के हैं|

इस अवैध वसूली के विरोध मे बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र मे स्थित लखासर टोल पर सैंकड़ों ट्रक ऑपरेटर बैठे है हड़ताल पर

पिछले कई दिनो से बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र मे स्थित लखासर टोल प्लाज़ा के पास बड़ी संख्या मे ट्रक चालक धरना दे रहे है|ट्रक चालक रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगा रहे है|धरने पर बैठे यूनियन के डा. विवेक माचड़ा के

अनुसार इन रॉयल्टी ठेकेदारों की गुंडागर्दी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है|जेसे जेसे मीडिया मे यह मामला उछल रहा है इनकी वसूली भी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है|

वसूली के इस खेल की जांच करवाने वाले एसएमई राजीव चौधरी का किया ट्रांसफर

रॉयल्टी की अवैध वसूली के खेल की जानकारी जब जिले के आला अधिकारियों तक पहुंची तो तत्कालीन एसएमई राजीव चौधरी ने एमई राजेन्द्र बलारा को पत्र लिख कर मामले की जांच करने को कहा,उन्होने एक ट्रक का ब्यौरा अंकित करते हुए अपने पत्र मे लिखा कि उक्त ट्रक का रवन्ना 38.37 टन का दिया गया जबकि वाहन चालक के पास कांटे से तुलाई की पर्ची 91 टन की थी। रॉयल्टी नाकेदार ने 9000 रुपए लेकर 900 रुपए की रसीद दी। प्रकरण का हवाला देते हुए 17 सितंबर को अधीक्षण खनिज अभियंता ने खनिज अभियंता को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्रवाई तो दूर की बात उल्टा राजीव चौधरी को ही बीकानेर से स्थानांतरित कर दिया गया। वजह, इस प्रकरण में बीकानेर के कई नेताओं समेत एक दर्जन पहुंच वालों तक इसकी आंच पहुंचती|

जिम्मेदार अधिकारी जांच के नाम पर दे रहे मामला सुलझाने की सलाह

आपको बता दें कि इस प्रकरण मे भी स्थानीय खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा की महत्वपूर्ण भूमिका है,भास्कर मे छपे उनकी बातचीत के ब्यौरे के अनुसार यह महाशय कार्यवाही करने की बजाय ओवरलोड करने वाले ट्रक चालको और रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों को बातचीत से मामला सुलझाने की नसीहत दे रहे है जबकि इस मामले मे कार्यवाही करने का दारोमदार उन्ही पर है|

करोड़ो रुपयों के पंचनामे,वसूली नील बटे सन्नाटा|

जैसा कि इस मामले मे हुए पंचनामे से सामने आया है कि अधिकारी द्वारा केवल अवैध खनन के परिवहन के लिए जिम्मेदार मानते हुए ट्रक चालक पर 118900/- रुपए की पेनल्टी लगाई गयी|लेकिन चालक द्वारा जमा करवाने से इंकार करने पर उसे जब्त करने की कार्यवाही की गयी|सवाल यह उठता है कि जब्त किए वाहन को छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को तो पेनल्टी राशि जमा करवानी पड़ती है|लेकिन उन खनन मालिको का क्या, जो अवैध खनन और उसके भंडारण मे लिप्त है?

यदि बीकानेर जिले मे 1अप्रेल 2018 से लेकर 01 अक्टूबर 2021 तक के पंचनामों के आंकड़ो का अध्ययन करें तो मालूम होता है कि इस दरमियान 1163 पंचनामे विभाग द्वारा किए गए|यदि इनसे न्यूनतम 100000/- रुपए की पेनल्टी भी वसूली की जाए तो यह राशि 11 करोड़ से अधिक होगी|वास्तविक आंकड़े तो इससे कई गुना होंगे|लेकिन क्या विभाग द्वारा न्यूनतम राशि भी वसूली गयी है?इन आंकड़ो के अध्ययन से एक बात और सामने आती है कि इनमे से अधिकतर पंचनामे अवैध खनन का परिवहन करने वाले वाहन चालको के ही बने हुए है|अवैध खनन और अवैध खनन के भंडारण करने के विरुद्ध किए गए पंचनामों की संख्या गिनती की है|

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर वृत बीकानेर

सी–64सादूल गंज, बीकानेर

दूरभाष–0151–2226611 & Email – sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांक:अखज/बीका/एमएफ/विविध/2021/1608 दिनांक 17.9.202...

खनि अभियन्ता,

~~खान एवं भू विज्ञान विभाग~~

...कानेर।

विषय:– राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली,2017 के तहत खनन पटटाधारी मैसर्स आर.आर.माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं ई.आर.सी.सी.ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 15.9.2021 को वाहन संख्या आर.जे.07 जीसी 4654 को निकट स्थान जयपुर रोड,बाईपास चौराहा पर चैक किया गया,तो उक्त वाहन में खनिज बजरी भरी हुई पाई गई तथा वाहन चालक श्री बजरंग के पास मैसर्स आर.आर.माईन्स एण्ड मिनरल्स निकट ग्राम गोलरी की खान का रवन्ना नम्बर डीयूडीएक्स 1041254899 दिनांक 15.9.2021 का खनिज बजरी मात्रा 38.37 टन का जारी किया पाया गया,जबकि वाहन चालक के पास मैसर्स आर.आर.माईन्स एण्ड मिनरल्स के खान पर स्थित कांटे की पर्ची के अनुसार बजरी का वजन 91 टन पाया गया,जो कि जारी रवन्ना से अधिक है। मौके पर वाहन चालक ने बयान देकर बताया कि कोडमदेसर रॉयल्टी नाका पर ईआरसीसी रॉयल्टी ठेकेदार के नाकेदार द्वारा लगभग 10 टन खनिज बजरी वाहन से खाली करवाई गई,उसके पश्चात नाकेदार द्वारा रॉयल्टी पेटे मेरे से 9000/– रूपये लिये एवं मुझे एक गुलाबी रंग की 900/– रूपये लिखी पर्ची दी।

इस प्रकार ईआरसीसी रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा वाहन चालक को रॉयल्टी ठेके की विधिवत मान्य पर्ची नहीं दी गई तथा मैसर्स आर.आर.माईन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा वाहन में भरे गये खनिज बजरी की पूरी मात्रा 91 टन का रवन्ना जारी नहीं किया गया। जो कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली,2017 के नियमों एवं ठेके की संविदा की शर्तो का उल्लघंन है। अतः आप खान मालिक एवं ईआरसीसी रॉयल्टी ठेकेदार के विरूद्ध शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

सलंग्न: छांयाप्रति1.मौका पंचनामा 2. रवन्ना 3.टोकन पर्ची 4.वाहन चालक के बयान।

भवदीय,

(राजीव चौधरी)

अधीक्षण खनि अभियन्ता,

बीकानेर वृत्त बीकानेर

तत्कालीन एसएमई श्री राजीव चौधरी द्वारा बीकानेर के एमई श्री आरएस बलारा को खनन पट्टाधारक RR Mines और ERCC रॉयल्टी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया पत्र

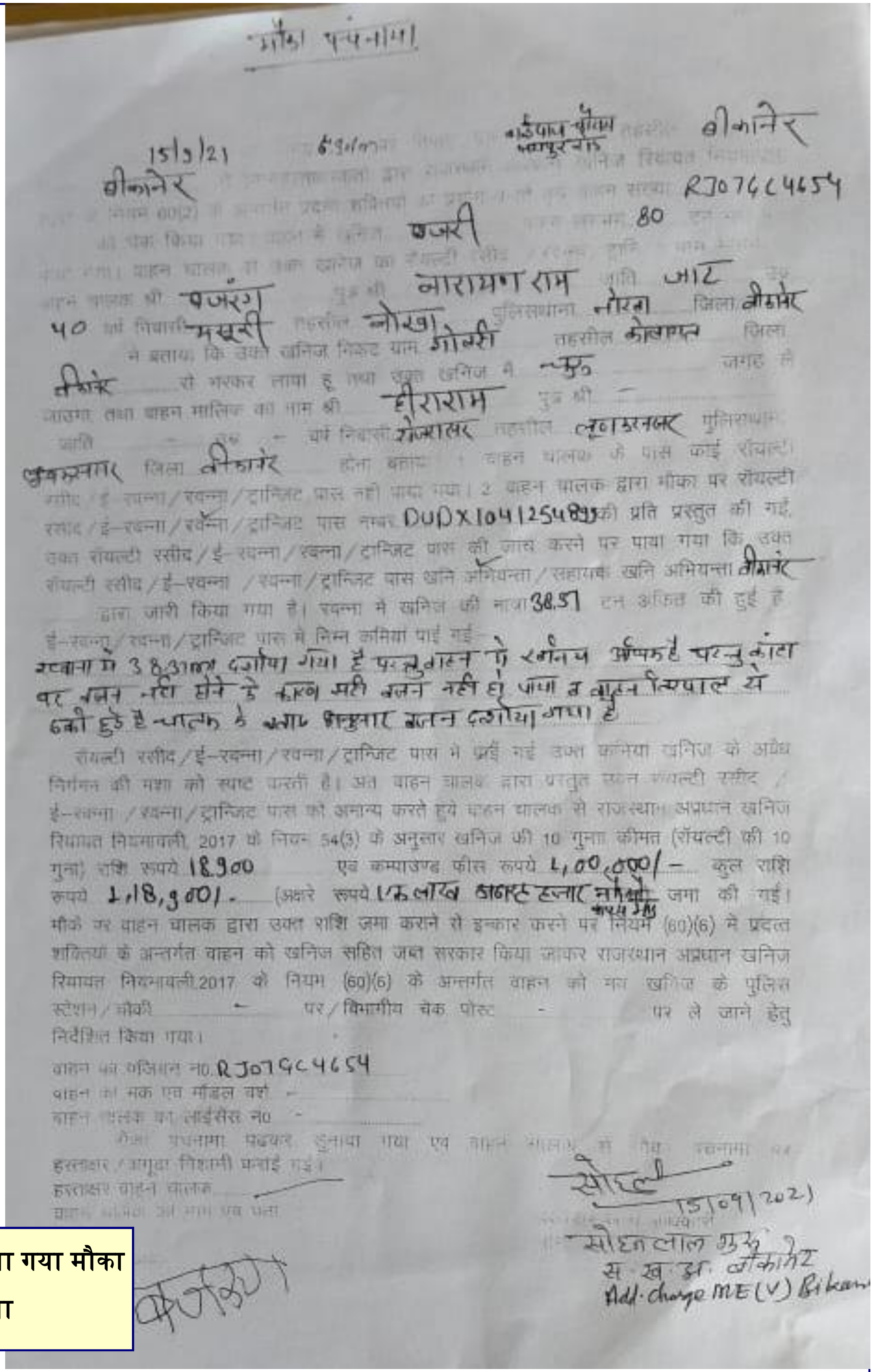

मौका पंचनामा

15/9/21 ... बाईपास चौराहा जयपुर रोड ... तहसील बीकानेर

बीकानेर ... [illegible] ... वाहन संख्या RJ07GC4654

... नियम 60(2) में अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ... 80 ...

... बजरी ... [illegible] ... रॉयल्टी रसीद / रवन्ना / ट्रान्जिट पास मांगा

गया। वाहन चालक ने उक्त खनिज का रॉयल्टी ... वाहन चालक श्री बजरंग पुत्र श्री नारायण राम जाति जाट उम्र

40 वर्ष निवासी मखूरी तहसील नोखा पुलिसथाना नोखा जिला बीकानेर

ने बताया कि उक्त खनिज निकट ग्राम गोलरी तहसील कोलायत जिला

बीकानेर से भरकर लाया हूं तथा उक्त खनिज मैं ... जगह ले

जाऊंगा तथा वाहन मालिक का नाम श्री हीराराम पुत्र श्री —

जाति — उम्र — वर्ष निवासी शेखसर तहसील लूणकरनसर पुलिसथाना

लूणकरनसर जिला बीकानेर होना बताया। 1. वाहन चालक के पास कोई रॉयल्टी

रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास नहीं पाया गया। 2. वाहन चालक द्वारा मौका पर रॉयल्टी

रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास नम्बर DUDX104125489 की प्रति प्रस्तुत की गई,

उक्त रॉयल्टी रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास की जांच करने पर पाया गया कि उक्त

रॉयल्टी रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता बीकानेर

द्वारा जारी किया गया है। रवन्ना में खनिज की मात्रा 38.57 टन अंकित की हुई है।

ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास में निम्न कमियां पाई गई-

रवाना में 38.37 [illegible] दर्शाया गया है परन्तु वाहन में खनिज अधिक है परन्तु कांटा पर वजन नहीं होने के कारण सही वजन नहीं हो पाया व वाहन तिरपाल से ढकी हुई है चालक के [illegible] मुताबिक वजन दर्शाया गया है

रॉयल्टी रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास में पाई गई उक्त कमियां खनिज के अवैध निर्गमन की मंशा को स्पष्ट करती है। अतः वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत उक्त रॉयल्टी रसीद / ई-रवन्ना / रवन्ना / ट्रान्जिट पास को अमान्य करते हुये वाहन चालक से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 54(3) के अनुसार खनिज की 10 गुना कीमत (रॉयल्टी की 10 गुना) राशि रुपये 18,900 एवं कम्पाउण्ड फीस रुपये 1,00,000/- कुल राशि रुपये 1,18,900/- (अक्षरे रुपये एक लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये मात्र) जमा की गई। मौके पर वाहन चालक द्वारा उक्त राशि जमा कराने से इन्कार करने पर नियम (60)(6) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत वाहन को खनिज सहित जब्त सरकार किया जाकर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम (60)(6) के अन्तर्गत वाहन को मय खनिज के पुलिस स्टेशन / चौकी — पर / विभागीय चेक पोस्ट — पर ले जाने हेतु निर्देशित किया गया।

वाहन का रजिस्टर नं0 RJ07GC4654

वाहन का मेक एवं मॉडल वर्ष —

वाहन चालक का लाईसेंस नं0 —

मौका पंचनामा पढ़कर सुनाया गया एवं वाहन चालक से मौका पंचनामा पर हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी करवाई गई।

हस्ताक्षर वाहन चालक

वाहन चालक का नाम एवं पता

सोहन 15/09/2021

सोहनलाल गुर्जर

स. ख. अ. बीकानेर

Addl. charge ME (V) Bikaner

बजरंग

विभाग द्वारा बनाया गया मौका पंचनामा

विभाग द्वारा काटा गया ई रवन्ना

DMG RAJASTHAN

Government of Rajasthan

DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY, RAJASTHAN

RJ07GC4654 is having eRawanna No. **DUDX1041254899** **(Confirmed)** which expires on **15-Sep-2021 10:15:21 PM.**

Generated on	:15-Sep-2021 11:15:21 AM
Confirmed on	:15-Sep-2021 11:20:52 AM
Lease No.	:ME/BKN/Minor/ML/1/2010
Name of the Lessee	:R R Minerals
Lease Location	:Golary / Kolayat / Bikaner
Mineral	:Bajri
Net Mineral Weight	:38.37 (Metric Ton)
Tare Weight	:16.6 (Metric Ton)
Driver Details	:Hiralal (Mob: 9928942990)
Consignee Name	:SUNDAR
Consignee Address	:CHURU, Churu, Rajasthan,
Approximate Distance	:250 Km
Collection Through	:ERCC (Unpaid Rawanna)
Royalty	:₹ 0/-
DMFT	:₹ 0/-
RSMET	:₹ 0/-
Royalty Schedule Rate	:8 Bajri, Kanker, and ordinary sand - (a) Bajari, Kankar - (ii) Other districts (45/-PMT)
Weigh Bridge	:Dudi and company bikaner(2018030701274)/Golari bikaner

Front Image

Side Image

73/ME,Bikaner	06-Sep-2021	Gravel (Minor)	Ramniwas (Other)	0
74/ME,Bikaner	07-Sep-2021	Gypsum (Minor)	girdhari gurjar (Other)	0
75/ME,Bikaner	07-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Durgaram (Other)	0
76/ME,Bikaner	07-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Sawar lal (Other)	0
77/ME,Bikaner	07-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Dashrath (Other)	0
78/ME,Bikaner	08-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Sandeep (Other)	0
79/ME,Bikaner	10-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Kan singh (Other)	0
80/ME,Bikaner	11-Sep-2021	Ordinary Earth (Minor)	Kana ram (Other)	0
81/ME,Bikaner	11-Sep-2021	Ordinary Earth (Minor)	Hadman nayak	0
82/ME,Bikaner	11-Sep-2021	Ordinary Earth (Minor)		
83/ME,Bikaner	11-Sep-2021	Ordinary Earth (Minor)	Unknownbikaner (Other)	0
84/ME,Bikaner	17-Sep-2021	Gypsum (Minor)	Prithviram (Other)	0
13/SME(V),Bikaner	19-Sep-2021	Bajri (Minor)	bajrang (Other)	0
08/AME(V),Kolayat	20-Sep-2021	Ballclay (Minor)	harmeet singh so karmeet singh (Other)	0

विभाग द्वारा वाहनचालक बजरंग लाल के नाम बनाया गया पंचनामा लेकिन मामले मे एफ़आईआर दर्ज नहीं

जन सूचना पोर्टल-2019
सशक्त नागरिक सुशासित राजस्थान

जवाब मांगते सवाल?

1. राजनैतिक संरक्षण मे पनप रहे इस रॉयल्टी माफिया का जिम्मेदार कौन?
2. क्या है इस रॉयल्टी ठेके की सरकारी शर्ते?क्या कंपनी उन शर्तों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है?
3. कंपनी द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को खुश करने के लिए कितनी रिश्वत बाँटी जा रही है?
4. कंपनी द्वारा ट्रक ओपरेटरों से जो वसूली की जा रही है,वह रकम काले धन के रूप मे किसकी जेब मे जा रही है?
5. अंडरलोड और ओवरलोड की समस्या को खत्म करने का क्या पारदर्शी तरीका है?
6. यदि वाकई कंपनी द्वारा खान मालिको और ट्रक ओपरेटरों से अवैध वसूली की जा रही है तो खान विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा कर कंपनी को ब्लेकलिस्टेड क्यूँ नहीं किया जा रहा?
7. बीकानेर के एसएमई श्री राजीव चौधरी का ट्रान्सफर किसके कहने पर किया गया?
8. श्री राजीव चौधरी द्वारा जिस जिम्मेदार अधिकारी श्री आरएस बलारा को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था वही जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाते हुए दोनों पक्षो मे समझौता करवाने की पैरवी क्यूँ कर रहा है?
9. श्री बलारा के सिर पर किसका वृहद हस्त है जिसके चलते वह भ्रष्टाचार के कई मामलों मे लिप्त होने के बावजूद मलाईदार पोस्ट पर टीके हुए है?
10. आखिर क्यूँ राज्य की जांच एजेंसियां इन रॉयल्टी माफियाओं पर शिकंजा नहीं कस रही?
11. बीकानेर जिले मे विगत 03 वर्षों मे कितने पंचनामे किए गए?
12. उपरोक्त पंचनामों मे कितने पंचनामों का निस्तारण किया गया?उपरोक्त पंचनामों मे तय की गयी जुर्माना राशि कितनी थी और उनमे से कितने की वसूली की जा सकी?
13. विगत तीन सालों मे किए गए पंचनामों मे कितने मामले अवैध खनन,अवैध खनन के भंडारण और अवैध खनन के परिवहन से संबन्धित थे?
14. अवैध खनन और अवैध खनन के भंडारण के मामलों मे कितने खनन पट्टा धारकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी?उनमे से कितनी खदानों का लाइसेन्स निरस्त किया गया?